प्रार्थना पत्र सं. 550 / 2022
बलराम बनाम भूमिधारी

पत्रावली वकील प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी पेश होने पर तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी के अनुरोध किया कि राजस्व ग्राम भूदौली पटवार हल्का भूदौली में प्रार्थी को नाम सहवन से रामसिंह की जगह जयसिंह दर्ज हो गया था जिसे दुरूस्त करवाने के लिये प्रार्थना पत्र 136 पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.22 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जा चुके है। किन्तु निर्णय दिनांक 21.11.22 में टाईपिंग की गलती से सहवन से खाता सं. 401 के स्थान पर खाता सं. 41 दर्ज हो गया जिससे निर्णय की पालना नही हो पा रही है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी स्वीकार किया जावें एवं निर्णय दिनांक 21.11.22 में खाता सं. 41 के स्थान पर खाता सं. 401 दुरूस्त फरमाया जावें।

वकील प्रार्थी को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि निर्णय दिनांक 21.11..2022 में सहवन से खाता सं. 401 के स्थान पर खाता सं. 41 दर्ज हुआ है। जो काबिले दुरूस्ती है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता है एवं निर्णय दिनांक 21.11.22 में सहवन से दर्ज खाता सं. 41 के स्थान पर खाता सं. 401 दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। लाल स्याही से दुरूस्ती की जावें। पत्रावली बाद दुरूस्ती दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner